

(b) in column (11),—

(i) in item (a), for sub-items (ii) and (iii), the following entries shall be substituted namely:—

(ii) "minimum six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level 5 in Pay Matrix of Rs 29200 – Rs 92300 or equivalent in the parent cadre or department, or

(iii) ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level 4 in Pay Matrix of Rs 25500-Rs 81100 or equivalent in the parent cadre or department; and"

(c) for the existing entries under the Note-2, the following entries shall be substituted, namely:—

"Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay and where this benefit will extend only for the post(s) for which pay scale is the normal replacement grade without any upgradation."

[F. No. 48014/1/2010-D(Est.I/Gp.I)]

PARVEEN DUDEJA, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide notification number S.R.O No. 28 dated the 18th May, 2013, in the Gazette of India, Part-II, Section-4.

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

का.नि.आ. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तटरक्षक संगठन (समूह 'क' पद) तकनीकी अधिकारी भर्ती नियम, 2007 तथा तटरक्षक संगठन समूह 'ख' और समूह 'ग' तकनीकी पर्यवेक्षण पद भर्ती नियम, 2008 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में तकनीकी अधिकारी, फोरमैन और चार्जमैन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक संगठन (समूह 'क' और 'ख') तकनीकी पर्यवेक्षण संवर्ग भर्ती नियम 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (i) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(प्रतिनियुक्ति की अवधि (आई एस टी सी), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति : -- 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. महानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य 3. संयुक्त सचिव (नौसेना), रक्षा मंत्रालय - सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति :-- 1. उप महा निदेशक - अध्यक्ष 2. निदेशक (सामग्री) - सदस्य 3. उप सचिव / निदेशक, रक्षा मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. फोरमैन (तकनीकी)	14* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44900 रु. से 142400 रु.)

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा 80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा 20 प्रतिशत जिसके ना हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा

(11)

प्रोन्नति :- स्तर-6, 35400 रु. से 112400 रु. में ऐसा चार्जमैन जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी —

- (क) (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों ; या
- (ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-6, 35400 रु. से 112400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; या
- (iii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-5, 29200 रु. से 92300 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों :—

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिकी या इलेक्ट्रिकल या समुद्री या समुद्री इलेक्ट्रानिक इंजिनियरी में डिप्लोमा या समतुल्य।
- (ii) पोत मरम्मत या साधारण इंजीनियरी और / या इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल या समुद्री व्यापार के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :-- 1. तटरक्षक मुख्यालय के निदेशक (कार्मिक) - अध्यक्ष 2. तटरक्षक मुख्यालय के संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (सामग्री) - सदस्य 3. उप निदेशक या सहायक निदेशक (प्रशासन), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. चार्जमैन	23* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400 रु. से 112400 रु.)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (ना कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	आवश्यक: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिकी या इलेक्ट्रिकल/या समुद्री या इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी या उत्पादन इंजीनियरी में डिप्लोमा। (2) पोत मरम्मत या साधारण इंजीनियरी इलेक्ट्रिकल में और/या अथवा इलेक्ट्रानिक व्यापार के क्षेत्र में दो वर्ष अनुभव टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी —

- (क) (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों ; या
- (ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-5, 29200 रु. से 92300 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष नियमित सेवा की हो; या
- (iii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-4, 25500 रु. से 81100 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथाविदित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

टिप्पण : (प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति :— 1. तटरक्षक मुख्यालय के निदेशक (कार्मिक) - अध्यक्ष 2. तटरक्षक मुख्यालय के संयुक्त निदेशक या सहायक निदेशक (सामग्री) - सदस्य 3. तटरक्षक मुख्यालय के उप निदेशक या सहायक निदेशक (प्रशासन) - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. सीपी/0601/तक.पर्य. संवर्ग/ 474/डी (सीजी)/2017]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd June, 2017

S.R.O. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Coast Guard Organization (Group 'A' Post) Technical Officer Recruitment Rules, 2007 and Coast Guard Organization Group "B" and Group "C" Technical Supervisory Posts Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer, Foreman (Technical) and Chargeman in Coast Guard Organization under the Ministry of Defence namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called as Coast Guard Organization (Group "A" and Group "B" posts) Technical Supervisory Cadre Recruitment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

both or in Electrical or Electronics or Marine Trade.

For Ex-Servicemen: Deputation or re-employment:-

Armed Forces Personnel of the rank of Master Chief Petty Officer or equivalent in the appropriate Technical branch of the Army, Navy or Air Force and possessing Educational Qualification as indicated above and is due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be appointed to the post on re-employment basis.

The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Foreman (Technical)	14*(2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial	Level-7 (Rs. 44900 to Rs. 142400)	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	80% by promotion 20% by deputation (including short term contract) failing which by promotion

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Chargeman in Level-6, Rs. 35400 to Rs. 112400 with five years regular service in the grade.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officers under the Central or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organization;</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with 05 years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-6, Rs. 35400 to Rs. 112400 or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) with 06 years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-5, Rs. 29200 to Rs. 92300 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director (Personnel) of the Coast Guard Headquarters - Chairman 2. Joint Director or Deputy Director (Materiel) of Coast Guard Headquarters - Member 3. Deputy Director or Assistant Director (Administration), Coast Guard Headquarters - Member 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>(i) Diploma in Mechanical or Electrical or Marine or Electronic Engineering or Production Engineering of a recognised University or Institution or Equivalent; and</p> <p>(ii) two years' experience in the field of hull repair or general engineering and/or in Electrical or Electronics or Marine trade.</p> <p>Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Chargeman	23*(2017) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400 to Rs. 112400)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Not exceeding 30 Years. (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) A Diploma in Mechanical or Electrical/or Marine or Electronics Engineering or Production Engineering from a recognized university/institution.</p> <p>(ii) Two years experience in the field of hull repair or general engineering and/or in Electrical or Electronics trades.</p> <p>Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded</p>	Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment failing which by deputation (including short term contract)

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir state, Lahaul & Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar islands or Lakshadweep).	in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			
--	---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation (including short term contract):</p> <p>Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Recognized Research Institutions or Universities or Semi Government or Statutory or Autonomous Organization:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-5, Rs. 29200 to Rs. 92300 or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with 10 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-4, Rs. 25500 to Rs. 81100 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for Direct Recruits under column 7.</p> <p>(Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>	<p>Group 'B' Departmental confirmation Committee:</p> <p>(i) Director (Personnel) of Coast Guard Headquarters - Chairman</p> <p>(ii) Joint Director or Assistant Director (Materiel) of Coast Guard Headquarters - Member</p> <p>(iii) Deputy Director or Assistant Director (Administration) of Coast Guard Headquarters - Member</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary</p>